(Pension) Rules. Under section 10(10A) (i) of the Income-tax Act, 1961, what is exempt is only this one-third of the commuted value of pension and the remaining two-thirds being a terminal benefit is not covered by the provisions of section 10(10A) (i) of the I.T. Act, 1961. Thus these instructions do not contravene the provisions of sec. 10(10A) (i) of the Income-tax Act, 1961.

(c) Does not arise.

**जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया और सामान्य बीमा निगम द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में पूंजी निवेश**

*1104. **श्री ओम प्रकार त्यागी :**

**श्री अनंत राम जायसवाल :**

क्या **वित्त** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे ;

(क) क्या उन्हें जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया और सामान्य बीमा निगम द्वारा 1 मार्च से 15 अप्रैल, 1978 के बीच गैर सरकारी कम्पनियों के शेयरों को खरीदने में पूंजी लगाये जाने के बारे में पता है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं, प्रत्येक कम्पनी से खरीदे गए शेयरों की संख्या और उनका मूल्य क्या है और शेयरों की वर्तमान कीमतों के आधार पर उनका अलग अलग "यील्ड पर्सन्टेज" क्या है ;

(ग) उपरोक्त कम्पनियां किन किन बड़े घरानों से संबंधित हैं ;

(घ) क्या सरकार ने उपरोक्त संस्थाओं द्वारा शेयरों में पूंजी लगाने के बारे में ऐसी नीति निर्धारित की है जो उन्हें एक निश्चित प्रतिशत से कम यील्ड के शेयरों को खरीदने से रोके और वे ऐसे शेयर लाजमी तौर पर बेच दें ;

(ङ) क्या खरीदे गए शेयरों की यील्ड बैंक में फिक्स्ड डिपोजिट पर ब्याज दर से कम है और यूनिट ट्रस्ट अपने शेयर होल्डर्स को जो लाभांश देती है वह उससे भी कम है ; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उपरोक्त सरकारी क्षेत्र की संस्थाएं गैर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के शेयर किस आधार पर खरीदती हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल)** : (क) से (च). जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और भारतीय साधारण बीमा निगम तथा उसकी सहायक कम्पनियां गैर-सरकारी क्षेत्र की पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के शेयर खरीदती रही हैं ।

2. इन संस्थाओं ने पहली मार्च से 15 अप्रैल 1978 तक जिन कम्पनियों के शेयर खरीदे हैं, उनके नामों और इन संस्थाओं द्वारा प्रत्येक कम्पनी के खरीदे गए शेयरों की संख्या व उनके मूल्य तथा औसत खरीद मूल्य पर "यील्ड" और उन बड़े व्यापारिक घरानों के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगा जिनसे ये कम्पनियां सम्बन्धित हैं ।

3. सरकार ने जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक कम्पनियों द्वारा पूंजी लगाए जाने के तरीके के बारे में निर्देशक सिद्धान्त निर्धारित किए हैं । इन सिद्धान्तों के अनुसार, जीवन बीमा निगम गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में निगम की नियंत्रित निधियों की वार्षिक प्राप्तियों के 10 प्रतिशत तक ही पूंजी लगा सकता है जबकि साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक कम्पनियां इसी क्षेत्र में अपनी वार्षिक निवेश योग्य पूंजी का 30 प्रतिशत ही लगा सकती हैं । ये संस्थाएं कम्पनियों के शेयर खरीदने के मामले में पूंजी लगाने के संबंध में अपने निर्णय अपने-अपने बोर्डों और निवेश समितियों के माध्यम से इन सीमाओं के अन्दर रहते हुए करती हैं । जहां तक भारतीय यूनिट ट्रस्ट का संबंध है, वह अपनी पूंजी मुख्यतः पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के सामान्य शेयरों और ऋण-पत्रों में लगाता है ।

4. इन संस्थाओं द्वारा शेयर खरीदे जाने का उद्देश्य यह है कि इन्हें अपनी पूंजी पर लगातार और युक्तिसंगत लाभ होता रहे । ये संस्थाएं, विशेष रूप से पूंजी वृद्धि और कम्पनी की विस्तार संबंधी सम्भावनाओं की गुंजाइश को ध्यान में रखती हैं । ये सम्बद्ध कम्पनी के वित्तीय परिणामों/उसकी आमदनी की सुसंगति, लाभांश का रिकार्ड, प्रारक्षित निधियों के अनुरूप बोनस शेयरों की सम्भावनाओं, प्रबन्ध की योग्यता, कम्पनी की विविधीकरण/विस्तार/आधुनिकीकरण की योजनाओं और शेयरों की बिक्री-योग्यता के बारे में विचार करती है । ये संस्थाएं पूंजी निवेश के प्रबन्ध के एक अंग के रूप में अपनी पूंजी को उचित रूप से अलग-अलग प्रतिभूतियों में लगाने की आवश्यकता पर भी ध्यान रखती हैं ।

5. शेयरों की खरीद के मामले में निःसंदेह "लाभांश यील्ड मूल्य" एक महत्वपूर्ण विचार है लेकिन पूंजी-वृद्धि की गुंजाइश का भी उतना ही महत्व है । जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा शेयरों में लगाई गई रकम से जो पूंजी-वृद्धि होती है, वह इन संस्थाओं द्वारा ब्याज प्रतिभूतियों में लगाई गई पूंजी से होने वाले सम्भावित मूल्यह्रास से सुरक्षा प्रदान करती है । साधारण बीमा निगम के मामले में कर का दृष्टिकोण भी एक महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि अन्तर्निगम लाभांश की आमदनी पर कर की जो रकम देय होती है वह सरकारी प्रतिभूतियों, ऋण पत्रों, निश्चित अवधि की जमा रकमों, सावधि ऋणों आदि के ब्याज की आमदनी पर देय कर की

तुलना में काफी कम होती है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के मामले में पूंजी की वृद्धि बहुत महत्वपूर्ण है ताकि ट्रस्ट यूनिट-होल्डरों के लिए एक यूक्तिसंगत लाभांश की घोषणा कर सके।

6. जैसा कि ऊपर बताया गया है, ये संस्थाएं केवल "यील्ड" के विचार से ही शेयर नहीं खरीदतीं बल्कि वे पूंजी-वृद्धि की गुंजाइश जैसे अन्य पहलुओं पर भी विचार करती हैं और इसलिए शेयरों की "लाभांश यील्ड" और बैंकों में निश्चित अवधि की जमा रकमों के ब्याज की दर और भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा अपने यूनिट होल्डरों को दिए जाने वाले लाभांश की तुलना नहीं की जा सकती।

**Liquor served to Passengers by A.I.**

*1105. SHRI KACHARULAL HEMRAJ JAIN: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that liquor is served to passengers by Air India on its flights;

(b) if so, the particulars thereof;

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to advise Air India not to serve liquor on its flights;

(d) if not, the particular reasons therefor; and

(e) if there is a proposal as at (c) since when it is under consideration?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) and (b). Yes, Sir. Air-India serve liquor free of charge to first class passengers and at a compensatory charge to economy class passengers.

(c) to (e). No, Sir. The matter is still under consideration of the Government.

**Banking operations in Union Territory of Goa, Daman and Diu**

*1106. SHRI AMRUT KASAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 95 per cent of the banking operations of the nationalised banks are carried on only in four Talukas *viz.*, Tiswadi, Salcete, Marmagoa and Bardiz out of the thirteen Talukas of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(b) whether such concentration has not led to unhealthy competitions among the nationalised banks; and

(c) what steps have been taken to diversify the banking operations in the remaining nine backward Talukas of the Union Territory?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) The data on banking operations in the Union Territory of Goa, Daman and Diu are collected and consolidated by the Reserve Bank for the Union Territory as a whole. Taluka-wise figures are, therefore, not available.

(b) While issuing licences to the banks for branch opening at specific centres, the Reserve Bank of India assess the banking requirements of each centre and no unhealthy interbank competition has come to their notice.

(c) In order to ensure that the needs of the small borrowers in the entire Union Territory are adequately met, the Lead Bank Scheme has recently been extended to the Union Territory. The State Bank of India have been given the lead responsibility in respect of Goa and Daman and the State Bank of Saurashtra in respect of Diu. The Lead Banks have been advised to formulate District Credit Plans for these areas. With the implementation of the credit plans, the flow of credit to small